

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. 980-17-इकीस-अ-(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 जनवरी 2016 को
राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०१६

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १२ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १५ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है।

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक ८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि ३१ मार्च, २०१६ तक वह जीएसडीपी के ३.५ प्रतिशत से अधिक न रहे और तत्पश्चात् उसे बनाए रखेगी, अर्थात् :—

(एक) पिछले वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का १० प्रतिशत या उससे कम हो; तथा

(दो) पिछले वित्तीय वर्ष में, कुल परादेय ऋण जीएसडीपी अनुपात का २५ प्रतिशत या उससे कम हो।

यदि उपरोक्त उप-खण्ड (एक) या (दो) में वर्णित किसी एक शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी कि वह उस वर्ष के जीएसडीपी के ३.२५ प्रतिशत से अधिक न रहे और यदि उपरोक्त उप-खण्ड (एक) एवं (दो), दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं होती है तो राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि वह उस वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के ३.० प्रतिशत से अधिक न रहे”;

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. 980-17-इक्कीस-अ-(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक ८ सन् २०१६) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH RAJKOSHIYA UTTARDAYITVA AVAM BUDGET
PRABANDHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2015**

[Received the assent of the Governor on the 12th January, 2016; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 15th January, 2016.]

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015. Short title.

2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005), in sub-section (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) reduce fiscal deficit in each financial year so as to bring it down to not more than 3.5 percent of GSDP by 31st March, 2016 and maintain it thereafter, subject to the following conditions, namely :—

- (i) Interest payment in the previous financial year is 10 percent or less of the total revenue receipts; and
- (ii) Total outstanding debt to GSDP ratio for the previous financial year is 25 percent or less.

if either of the conditions mentioned in sub-clause (i) or (ii) above is not met, reduce fiscal deficit in that financial year so as to bring it down to not more than 3.25 percent of the GSDP for that year and if both the conditions mentioned in sub-clause (i) and (ii) above are not met, reduce the fiscal deficit so as to bring it down to not more than 3.0 percent of the GSDP for that financial year.”.

Amendment of Section 9.